न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 96/2018

प्राथी बनाम अप्रार्थी

डुगाराम उर्फ दिनेश कुमार राजपुरोहित पुत्र अचलाजी आयु 57 वर्ष लगभग जाति राजपुरोहित निवासी डायाजी पार्क रॉव हाउस बी./एच गोपाल नगर चरवत पाटीया सुरत 395010 हाल निवासी चडुआल तहसील व जिला सिरोही

सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री कैलाश नामा
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश दिनांक 9 –12–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का इस न्यायालय मे दि 14–8–18 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी मोजा ग्राम चडुआल पटवार हलका तंवरी तहसील व जिला सिरोही मे प्रार्थी के खातेदारी ,मालकी,एवं संयुक्त कब्जे की आराजी मय कुंआ आया हुआ है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करते आ रहे हे। जिसकी विगत निम्न प्रकार है :–

क्रं.सं.	खसरा संख्या	क्षैत्रफल हैक्टेयर मे	किस्म
1	672	0.0300	गै.मु. कुंआ
2	673	4.8900	नहरी 2
3	674	0.4000	गे.मु. पत्थर
4	675	0.4200	नहरी 2
5	676	0.2300	गै.मु. पत्थर
6	677	0.3900	नहरी 2

कुल खसरा 6 क्षैत्रफल 6.3600 हैक्टेयर

उ उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी जो प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी हे जिस पर प्रार्थी व अन्य सहखातेदार काश्त करते आ रहे है एवं मोके पर काबिज हे जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज रेकर्ड अनुसार जमाबंदी से स्पष्टतया साबित हे एवं प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार हे तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी मे डुंगाराम नाम दर्ज किया हुआ है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम दिनेशकुमार है।उक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थी का वास्तविक नाम दिनेशकुमार है। प्रार्थी के सम्पूर्ण दस्तावेजात भी उसी दिनेशकुमार के नाम से ही बने हुये है। प्रार्थी का डुंगाराम नाम घर मे मुह बोला नाम होने से खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे डुंगाराम ही चला आ रहा है। प्रार्थी का रेकर्डे नाम दिनेशकुमार है। प्रार्थी के वाटर आई.डी. ,पेनकार्ड,राशनकार्ड,आधार कार्ड सम्पूर्ण सरकार दस्तावेजात मे दिनेशकुमार नाम दर्ज है। प्रार्थी के ड्राईविंग लाईसेन्स भी दिनेशकुमार नाम से बना हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि आराजी मे दर्ज दिनेशकुमार के सीन पर डुंगाराम नाम दर्ज राजस्व अधिकारियों द्वारा कारित की गई गई है उकत त्रुटि मे पुनः सुधार कर पुनः राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम दिनेशकुमार दर्ज किया जावें । अप्रार्थी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि की जानकारी प्रार्थी को हाल ही मे सहखातेदार श्रवणकुमार द्वारा प्रार्थी पर एक राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.एक्ट वास्ते बंटवाड हेतु नोटिस प्रेषित होने पर प्राथ्री को उकत नोटिस कि तामिली के पश्चात प्रार्थी द्वारा जमाबंदी की नकल मांगनी करने पर दिनांक 13–8–2018 को जानकारी हुई तत्पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते रेकर्ड मे संशोधन के कारण प्रस्तुत करना पडा हे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व जमाबंदी मे सुधार कर प्रार्थी का नाम डुंगाराम के स्थान पर दिनेशकुमार का नाम संशोधन करने बाबत आदेश पारित करना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे जमाबंदी संवत 2070–2073 ,आधार कार्ड,पहचान कार्ड, राशनकार्ड ,ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 20–8–2018 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 18–9–2018 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे पेश होने से शामिल मिसल किये गये । इस न्यायालय मे विचारण की सुनवाई पेशी दिनांक 24–12–2018 को अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही जरिये पत्र कमांक 729 दिनांक 11–10–2018 के संलग्न प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे यह कथन किया है कि वर्णित कृषि आराजी जो प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों का कब्जा काश्त एवं मोके पर काबिज है जो सत्य है। प्रार्थी का वास्तविक नाम दिनेशकुमार पुत्र अचलाराम है जबकि खातेदारी मे अंकन डूॅगाराम सही नही है डूॅगाराम मुह बोला नाम था जो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पेनकाड्र ,राशनकार्ड,पहचान पत्र,आधारकार्ड मे दिनेशकुमार पुत्र अचलाराम पुरोहित दर्ज है। उपरोक्त चारो दस्तावेजों की प्रार्थीद्वारा सत्यापित प्रतियॉ संलगन है। अतः उक्त खातेदारी कृषि आराजी मे दर्ज दिनेशकुमार के सीन पर डूॅगाराम दर्ज राजस्व अधिकारियों द्वारा कारित है।

इस न्यायालय मे दिनांक 2–12–2019 को विचारण प्रकरण मे वकील प्राथी व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । राज्य सरकार के निर्देशों की पालना मे सम्मान जनक नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना बताया है।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित

दस्तावेजात प्रतियों मे जमाबंदी संवत 2070–2073,आधार कार्ड,पहचान कार्ड, राशनकार्ड ड्राईविंग लाईसेन्स तथा जवाब अप्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की प्रतियों का गहनापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने भी अपने जवाब मे यह स्वीकार किया है कि वर्णित कृषि आराजी जो प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों का कब्जा काश्त एवं मोके पर काबिज है जो सत्य है। प्रार्थी का वास्तविक नाम दिनेशकुमार पुत्र अचलाराम है जबकि खातेदारी मे अंकन डूॅगाराम सही नही है डूॅगाराम मुह बोला नाम था जो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पेनकाड्र ,राशनकार्ड,पहचान पत्र,आधारकार्ड मे दिनेशकुमार पुत्र अचलाराम पुरोहित दर्ज है। उक्त सभी के आधार पर प्रार्थी के अशुद्व नाम डुंगाराम के स्थान पर दिनेशकुमार का सही नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थी के उक्त नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे प्राथी मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा भविष्य मे उक्त मामले मे कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम चडुआल पटवार हल्का तंवरी तहसील सिरोही मे सिति प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी मालकी एवं संयुक्त कब्जे की भूमि खसरा नंबर 672,673,674,675,676,677 कुल खसरे 6 क्षैत्रफल 6.3600 हैक्टेयर की वर्तमान जमाबंद मे राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के दज्र गलत नाम डूंगाराम के स्थान पर सही नाम दिनेशकुमार दुरूस्त दर्ज कर वर्तमान जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह मे इस न्यायालय को भिजवाने की व्यवस्था करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर * सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.09 16:41:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: